...पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 07/10/25 को पेश हो

07/10/25 अधिवक्ता द्वारा पत्रावली बाद
तक है। अतः 13/10/25 को
पेश हो।

13/10/25 अधिवक्ता अनु. / पत्रावली बाद
तक है। अतः 14/10/25 को
पेश हो।

14/10/25 अधिवक्ता द्वारा मूलवाद पत्रावली
में बाद पत्र स्वीकृत किया जाकर
डिक्री जारी की जा चुकी है अतः
वि.प्र. पर O-39-R-2A CPC का
कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः
वि.प्र. पर O-39-R-2A के अंतर्गत
अस्थायी व्यादेश निर्मित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रारंभिक विचारणीय
पत्रावली स्वीकार की पत्रावली
के पृष्ठ क्रमांक की जाकर निर्णय की मूल
में शामिल है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:33 IST
Reason: SelfAttested